

**एमएम कुमार और जीतेन्द्र चौहान से पहले जे.जे.**

**नीरा रानी और अन्य -याचिकाकर्ता**

**बनाम**

**हरियाणा राज्य और अन्य -प्रतिवादी**

**सीडब्ल्यूपीनं. 2009 का 65**

18 मार्च 2011

भारत का संविधान,-कला. 226/22 7 एवं 300-ए-भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 (1984 में संशोधित)-एस. 4, 5-ए, 6 और 6(ए)- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005-हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1977-पंजाब नई राजधानी परिधि नियंत्रण अधिनियम, 1952-एस। 3, 4 और 5—हरियाणा शहरी क्षेत्रों का विकास और विनियमन अधिनियम, 1975—एस. 3.3-ए और 3-बी - याचिकाकर्ताओं द्वारा अधिग्रहण की कार्यवाही को चुनौती दी गई - आरोप लगाया गया कि भूमि प्राप्त करने या जारी करने में कोई समान प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया - धारा 5-ए के तहत आपत्तियों पर निर्णय नहीं लिया गया और न ही उन्हें सुना गया - याचिकाकर्ताओं ने भेदभाव का आरोप लगाया - पुरस्कार की घोषणा की गई और कब्जा ले लिया गया 26 नवंबर, 2009 - याचिका को यह कहते हुए अनुमति दी गई कि अधिग्रहण के लिए कोई विशिष्ट क्षेत्र धारा 6 के तहत अधिसूचना जारी होने से पहले नहीं दिखाया गया - कोई प्रभावी सुनवाई नहीं - धारा 5-ए के तहत आपत्तियों की सुनवाई कम नहीं की जा सकती - अधिग्रहीत क्षेत्र के लिए कोई लेआउट योजना तैयार नहीं की गई - भूमि अधिग्रहण और जारी करने में भेदभाव टीटी/एस 48।

**माना गया** कि सबसे पहले, धारा 6 के तहत अधिसूचना जारी होने से पहले याचिकाकर्ताओं को अधिग्रहण के लिए निर्धारित कोई विशिष्ट क्षेत्र नहीं बताया गया है। याचिकाकर्ता अधिग्रहण के लिए नियोजित क्षेत्र की एक प्रति प्राप्त करने के लिए दर-दर भटक रहे हैं। उन्होंने जिला नगर योजनाकार, पंचकुला को एक प्रति के लिए आवेदन किया, ताकि यह पता चल सके कि खसरा नंबर 4 और 5 का कौन सा हिस्सा अधिग्रहण से मुक्त किया गया है और उसका कौन सा हिस्सा अधिग्रहित किया गया है। जिला नगर योजनाकार ने उनके आवेदन को केवल भूमि अधिग्रहण कलेक्टर-प्रतिवादी संख्या 3 को इस अनुरोध के साथ अग्रेषित किया कि अर्जित संबंधित भूमि/क्षेत्र को अलग रंग में चिह्नित किया जाए। हालांकि, क्षेत्र की साइट योजना 18 जुलाई, 2008 को प्रदान की जा सकी, जबकि घोषणा 28 नवंबर, 2007 (पी-2) को अधिनियम की धारा 6 के तहत पहले ही की जा चुकी थी। ऐसे में कोई कारगर नहीं हो सकता

अधिनियम की धारा 5-ए के तहत आपत्तियों के रूप में प्रतिनिधित्व और न ही उत्तरदाताओं द्वारा कोई सुनवाई या दिमाग का आवेदन किया जा सकता है।

**इसके अलावा**, याचिकाकर्ताओं ने सेक्टर 28, अर्बन एस्टेट, पिंजौर के लिए उनके आकार के साथ आवासीय, वाणिज्यिक और औद्योगिक क्षेत्रों की योजना की दर्शन वाली योजना की प्रमाणित प्रति की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया। 22 अगस्त, 2008 को उत्तरदाताओं ने उत्तर दिया कि ऐसी कोई लेआउट योजना तैयार नहीं की गई थी (पी-10 और 11)। तदनुसार, यह इस प्रकार है कि उत्तरदाताओं को उस भूमि की सटीक माप के बारे में भी जानकारी नहीं थी जिसे अधिनियम की धारा 6 के तहत अधिसूचना जारी होने के बाद अधिग्रहित किया गया है या जिसे जारी किया जा सकता है। इसलिए, प्रतिष्ठित डोमेन की शक्ति का रंगीन प्रयोग किया जा रहा है जो न्यायिक जांच में टिक नहीं सकता है।

(पैरा 23)

**आगे कहा गया** कि इस बात से भी इनकार नहीं किया गया है कि याचिकाकर्ता की संपत्ति के पीछे निर्माण और आसपास के अन्य क्षेत्रों को भी अधिग्रहण से मुक्त कर दिया गया है। यदि आस-पास की सभी भूमि/निर्मित क्षेत्र को मुक्त कर दिया गया है, तो यह समझ में नहीं आता है कि याचिकाकर्ताओं की भूमि का अधिग्रहण सार्वजनिक उद्देश्य के लिए कैसे किया जा सकता है। भेदभाव के आधार पर भी याचिकाकर्ताओं के भूखंड/भूमि का अधिग्रहण रद्द किया जा सकता है।

(पैरा 24)

**आगे कहा गया** कि अधिनियम की धारा 5-ए के तहत आपत्तियों की सुनवाई के लिए अपनाई गई प्रक्रिया घोर अवेधता से ग्रस्त है। सबसे पहले, याचिकाकर्ताओं को आपत्तियों की सुनवाई की तारीख और स्थान की कोई व्यक्तिगत सूचना नहीं दी गई थी। दूसरे, याचिकाकर्ताओं की ओर से दाखिल आपत्तियों पर सुनवाई नहीं हुई है। 26 अप्रैल, 2007 यानी आपत्तियों की सुनवाई की तारीख पर याचिकाकर्ताओं सहित 300 आपत्तिकर्ता उपस्थित थे। यदि यह मान भी लिया जाए कि याचिकाकर्ताओं के इस आरोप को नजरअंदाज करते हुए कि केवल एक क्लर्क उपस्थित था, भूमि अधिग्रहण कलेक्टर उपस्थित थे, तो भूमि अधिग्रहण कलेक्टर के लिए एक दिन में 300 लोगों को सुनवाई की अनुमति देना संभव नहीं है। अधिनियम की धारा 5-ए के तहत आपत्तियों की सुनवाई को महज औपचारिकता तक सीमित नहीं किया जा सकता। □

**इसके अलावा**, यह माना गया कि उत्तरदाताओं का यह दावा कि याचिकाकर्ताओं की भूमि का कब्जा 26 नवंबर, 2009 को पुरस्कार की घोषणा की तारीख पर पहले ही ले लिया गया है, हमें प्रभावित करने में विफल रहा है क्योंकि याचिकाकर्ताओं ने 6 नवंबर को रिट याचिका दायर की है। जनवरी, 2009। यह अच्छी तरह से तय है कि उत्तरदाताओं द्वारा की गई सभी कार्रवाइयां कब्जा लेने के तथ्य सहित तत्काल याचिकाओं के निर्णय के अधीन होगी। इसलिए, हमें उत्तरदाताओं की ओर से उठाए गए तर्क में कोई दम नहीं दिखता।

(पैरा 25)

## **याचिकाकर्ता के लिए वकील अमन अरोड़ा।**

अमन चौधरी, अतिरिक्त, एजी, हरियाणा/या **प्रतिवादी।**

## **एमएम कुमार, जे,**

(1) यह आदेश सीडब्ल्यूपीनोस का निपटान करेगा। 2009 की संख्या 65 और 1502 क्योंकि याचिकाकर्ताओं ने उनकी भूमि के अधिग्रहण की कार्यवाही को चुनौती दी है, जो 30 नवंबर को अधिसूचना जारी करके शुरू की गई थी। 2006 (पी-1), भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 4 के तहत (संक्षिप्तता के लिए, 'अधिनियम 1') और अधिनियम की धारा 6 के तहत 28 नवंबर, 2007 को की गई घोषणा (पी-2)।

(2) मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि 30 नवंबर, 2006 को, हरियाणा राज्य ने सार्वजनिक उद्देश्य के लिए भूमि अधिग्रहण करने के लिए अधिनियम की धारा 4 के तहत एक अधिसूचना जारी की, अर्थात् सेक्टर 27.28 के लिए आवासीय क्षेत्र के रूप में भूमि के विकास और उपयोग के लिए। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (पी-1) द्वारा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1977 के तहत 30 पिंजौर। चूंकि याचिकाकर्ताओं की भूमि भी उक्त अधिसूचना में शामिल थी, इसलिए उन्होंने अधिनियम की धारा 5-ए (पी-3) के तहत 27 दिसंबर, 2006 को आपत्तियां दायर कीं। 28 नवंबर, 2007 को अधिनियम की धारा 6 के तहत उपरोक्त सार्वजनिक उद्देश्य (पी-2) के लिए भूमि अधिग्रहण की घोषणा जारी की गई थी। 28 नवंबर, 2007 की घोषणा में कहा गया था कि "**भूमि अधिग्रहण (संशोधित) अधिनियम, 1984 द्वारा संशोधित भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 6 (2) के तहत सार्वजनिक नोटिस जारी किया गया है। भूमि की योजना भूमि अधिग्रहण कलेक्टर, शहरी संपदा, एससीएफ नंबर 61, सेक्टर-8, पंचकुला के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है।**

(3) याचिकाकर्ताओं की शिकायत यह है कि उन्होंने योजना के निरीक्षण के लिए और स्पष्टीकरण मांगने के लिए कई बार भूमि अधिग्रहण कलेक्टर-प्रतिवादी संख्या 3 के कार्यालय का दौरा किया कि क्या उनकी भूमि को अधिग्रहण से छूट दी गई है या नहीं, हालांकि, न तो योजना बनाई गई थी उन्हें दिखाया गया और न ही कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण दिया गया। इसलिए, उन्होंने 12 अप्रैल को एक आवेदन दायर किया। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत 2008/21 अप्रैल, 2008 (पी-4)। निम्नलिखित जानकारी मांगी गई है:-

“(ए) क्या आवेदकों की भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है या अधिग्रहण से छूट दी गई है।

(बी) योजना की एक प्रमाणित प्रति जिसमें स्पष्ट रूप से दर्शाया गया हो कि ऊपर वर्णित खसरा नंबर 4 और 5 के किस हिस्से को छूट दी गई है और कौन से हिस्से को अधिग्रहण के तहत प्राप्त किया गया है।

(4) 8 मई, 2008 को, कलेक्टर-प्रतिवादी संख्या 3 ने याचिकाकर्ताओं को सूचित किया कि उनकी भूमि अधिग्रहीत हो गई है और उन्हें अधिनियम की धारा 5-ए के तहत रिपोर्ट की एक प्रति भी प्रदान की गई थी। उन्हें जिला नगर योजनाकार, पंचकुला (पी-5) के कार्यालय से व्यक्तिगत रूप से योजना की प्रति प्राप्त करने के लिए कहा गया था। इसके बाद, 12 जून, 2008 को याचिकाकर्ताओं ने जिला नगर योजनाकार,

पंचकुला को योजना की प्रमाणित प्रति की आपूर्ति के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें दिखाया गया था कि खसरा संख्या 4 और 5 का कौन सा हिस्सा, जहां याचिकाकर्ताओं की भूमि स्थित है, छूट प्राप्त, जारी या अधिग्रहित (पी-6)। यह दावा किया गया है कि यहां तक कि जिला नगर योजनाकार, पंचकुला को भी नहीं पता था कि भूमि का कौन सा हिस्सा अधिग्रहित किया गया था क्योंकि उन्होंने याचिकाकर्ताओं के आवेदन को भूमि अधिग्रहण कलेक्टर-प्रतिवादी नंबर 3 को संबंधित अधिग्रहित भूमि को चिह्नित करने के अनुरोध के साथ भेज दिया था। मानचित्र पर विभिन्न रंगों में क्षेत्र (पी-7)। अंततः, धारा 4 के तहत अधिसूचना में दर्शाई गई भूमि का नक्शा, और अधिनियम की धारा 6 के तहत अर्जित या जारी की गई भूमि, जिला नगर योजनाकार, पंचकुला द्वारा याचिकाकर्ताओं को प्रदान की गई, - दिनांक 18 जुलाई, 2008 के पत्र **के माध्यम से** (पी-8 एवं पी-9)।

(5) 31 जुलाई, 2008 को याचिकाकर्ताओं ने आरटी 1 के तहत जिला नगर योजनाकार, पंचकुला के पास फिर से एक आवेदन दायर किया, जिसमें सेक्टर के लिए योजनाबद्ध आवासीय, वाणिज्यिक और औद्योगिक क्षेत्र के आकार, यदि कोई हो, के साथ योजना दिखाने वाली योजना की प्रमाणित प्रति मांगी गई। 28 ओर्बन एस्टेट, पिंजौर। इसके जवाब में यह जवाब दिया गया, - पत्र दिनांक 22 अगस्त, 2008 के माध्यम से कि ऐसा कोई लेआउट प्लान तैयार नहीं किया गया था (पी-10 और पी-11)। यह किया गया है□

आरोप लगाया कि प्रतिवादियों ने कभी भी उस भूमि के सटीक क्षेत्र/माप का खुलासा नहीं किया, जिसे **गलत** इरादे और सत्ता के रंगीन प्रयोग के कारण विवादित अधिसूचनाओं के तहत अधिग्रहित किया गया है। उस संबंध में याचिकाकर्ताओं ने अपना आवेदन दिनांक 1 अगस्त, 2008 और उत्तर दिनांक 19 अगस्त को रिकॉर्ड में रखा है। 2008 में प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा भेजा गया जिसमें कहा गया कि उनके पास अधिग्रहित खसरों (पी-12 और पी-13) के क्षेत्र का कोई माप नहीं है। 28 नवंबर, 2008 को याचिकाकर्ताओं ने प्रतिवादी संख्या 1 और 2 से फिर से आरटीआई के तहत निम्नलिखित जानकारी की मांग की:

- (ii) कि जिनकी जमीन खसरा नंबर 4 व 5 में छूट गई है।
- (iii) वह भूमि जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 6 के तहत अधिसूचना के पहले या बाद में जारी की गई है।
- (iv) क्या जिन व्यक्तियों की भूमि मुक्त करायी गयी है उन्होंने कोई आपत्ति दर्ज करायी है, यदि हां तो कृपया अपनी आपत्तियों की प्रतियां उपलब्ध कराये।
- (v) जिन व्यक्तियों की भूमि अधिग्रहीत एवं अवमुक्त की गई है उनकी आपत्तियों पर कलेक्टर की अनुशंसा/आदेश क्या थे (कृपया आदेश/अनुशंसा की प्रति उपलब्ध कराये)।
- (vi) यदि कोई हो तो क्या आदेश था। आपके अच्छे कार्यालय में दायर आवेदक (कृपया आदेश की प्रति प्रदान करें) की क्रमांक संख्या 8679, दिनांक 27 दिसंबर, 2006 के तहत **आपत्तियों** पर पारित किया गया था।

(6) यह प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त जानकारी याचिकाकर्ताओं को कभी प्रदान नहीं की गई थी। उन्होंने आगे कुछ उदाहरण भी उद्धृत किये हैं / सामने दाहिनी ओर शराब की दुकान : पीछे की ओर बर्याँ और निर्माण; और एक भूखंड, जहां याचिकाकर्ताओं की भूमि के आसपास की सभी खाली भूमि और/या निर्माण को अधिग्रहण से मुक्त कर दिया गया है।

(7) याचिकाकर्ताओं की शिकायत यह है कि उनकी जमीन एक सुनियोजित आवासीय कॉलोनी में स्थित है। न्यू मॉडल टाउन नालागढ़ रोड, पिंजौर, जिसमें स्ट्रीट लाइट आदि के साथ 22 फीट चौड़ी सड़कें हैं, जो एक्लास निर्मित घरों से घिरा हुआ है। आगे यह आग्रह किया गया है कि उक्त भूमि एक लूप में स्थित है जहां आसपास की सभी भूमि को मुक्त कर दिया गया है और याचिकाकर्ताओं की भूमि किसी भी तरह से सार्वजनिक उद्देश्य को परेशान नहीं करती है जिसके लिए भूमि का अधिग्रहण किया गया है। यह भी दावा किया गया है कि उनकी आपत्तियों की सुनवाई के लिए उन्हें कभी नहीं बुलाया गया

कलेक्टर-प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा, बल्कि, जब उन्हें पता चला कि आपत्तियों पर 26 अप्रैल को सुनवाई होनी है। 2007 में कलेक्टर ने अपनी दलीलें पेश करने के लिए उनके कार्यालय का दौरा किया, लेकिन आपत्तियों को सुनने के लिए न तो भूमि अधिग्रहण अधिकारी और न ही कोई अन्य अधिकारी मौके पर मौजूद थे। बल्कि, मौजूद एक क्लर्क ने याचिकाकर्ताओं सहित लगभग 300 लोगों की उपस्थिति दर्ज की और उन्हें वापस जाने के लिए कहा। वैसे भी एक दिन में इतने लोगों को सुनना संभव नहीं है। संक्षेप में यह आरोप लगाया गया है कि भूमि अधिग्रहण में प्रतिवादियों द्वारा कोई एकरूपता नहीं अपनाई गई है। भूमि के कई छोटे-छोटे टुकड़ों को पिक एंड चॉइस की पद्धति अपनाकर जारी किया गया है और अधिनियम के प्रावधानों का धार्मिक रूप से अनुपालन नहीं किया गया है।

(8) याचिकाकर्ताओं के आरोपों को नकारते हुए, प्रतिवादी नंबर 1 और 3 की ओर से एक संयुक्त लिखित बयान 1 फरवरी, 2009 को दायर किया गया था। प्रारंभिक आपत्तियों में यह दावा किया गया है कि 30 नवंबर, 2006 को **अधिसूचना नंबर 43.14** एकड़ भूमि का अधिग्रहण करने की **आपत्तियों** के प्रावधानों का विधिवत अनुपालन किया गया, यहां तक कि उक्त अधिसूचना 30 नवंबर को आधिकारिक राजपत्र में विधिवत प्रकाशित की गई थी। 2006 और 6 दिसंबर को दो दैनिक समाचार पत्रों में। 2006. अर्थात्. 'द इंडियन एक्सप्रेस' (अंग्रेजी) और 'दैनिक ट्रिब्यून (हिंदी)। छह दिसंबर को इलाके में अधिसूचना की उद्घोषणा भी करायी गयी। 2006 और इस आशय की एक प्रविष्टि **रैपल रोज़मचू वाकयाली में रैपट संख्या** 435 से 443 के माध्यम से की गई है। इसी तरह, अधिनियम की धारा 6 के तहत घोषणा 28 नवंबर को जारी की गई थी। 2007 में 467.03 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया, जिसे 28 नवंबर को आधिकारिक गजट में प्रकाशित भी किया गया था। 2008 (28 नवंबर 2007?) और 5 दिसंबर 2007 को उपरोक्त दो दैनिक समाचार पत्रों में। 30 नवंबर 2007 को। घोषणा की घोषणा इलाके में की गई थी और इस आशय की प्रविष्टि रूपाई रोज **नो मी में की गई है। हा वक्युति वीडियो** रपट संख्या 472 से 480।

(9) याचिकाकर्ताओं व अन्य की आपत्तियों की सुनवाई के संबंध में कहा गया है कि 25 अप्रैल से आपत्तियों की सुनवाई की गयी। 2007 से 27 अप्रैल, 2007 तक आपत्तिकर्ताओं को पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया। कलेक्टर ने व्यक्तिगत आपत्तियों पर एक रिपोर्ट बनाई और उसे अंतिम निर्णय के लिए सरकार को भेजा। इसके बाद ही अधिनियम की धारा 6 के तहत घोषणा जारी की गई। आगे यह भी कहा गया है कि जिन निर्मित क्षेत्रों को योजना में समायोजित किया जा सकता था, उन्हें छोड़ दिया गया है□

अधिनियम की धारा 5-ए के तहत आपत्तियों पर विचार करने के बाद। बताया गया है कि निर्मित क्षेत्र का 16.11 एकड़ क्षेत्रफल अनुपातिक क्षेत्रफल सहित सरकार द्वारा अवमुक्त कर दिया गया है, जबकि योजना में समायोजित नहीं किये जा सकने वाले क्षेत्रफल का अधिग्रहण कर लिया गया है। अधिनियम के प्रावधानों का कठोरता से अनुपालन किया गया है। यह भी कहा गया है कि राज्य सरकार को सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक किसी भी भूमि/निर्माण का अधिग्रहण करने का पूर्ण अधिकार है और भूमि मालिक या इच्छुक व्यक्ति अधिकार के रूप में निर्मित क्षेत्रों की रिहाई का दावा नहीं कर सकते हैं। उस संबंध में **मैसर्स नीरज टेक्सटाइल्स बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (1995 का सीडब्ल्यूपीनंबर 6833, 20 दिसंबर, 1996 को निर्णय लिया गया)** के मामले में दिए गए इस न्यायालय की डिवीजन बेंच के फैसले पर भरोसा किया गया है। इस बात से इनकार किया गया है कि कलेक्टर-प्रतिवादी नंबर 3 ने भूमि के कुछ हिस्सों को अधिग्रहण से मुक्त करने के लिए अपनी रिपोर्ट में सिफारिश करते समय कोई भेदभाव किया है। आरटीआई अधिनियम के तहत याचिकाकर्ताओं को उनके आवेदनों के जवाब में जानकारी उपलब्ध न कराने के संबंध में यह प्रस्तुत किया गया है कि चूंकि उस समय तक कार्यवाही पूरी नहीं हुई थी और पुरस्कार पारित नहीं हुआ था, इसलिए, इसका सटीक माप देना संभव नहीं था। उन्हें जमीन का अधिग्रहण किया। सत्ता के रंगीन प्रयोग के आरोपों का भी खंडन किया गया है। यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि याचिकाकर्ताओं की भूमि मुक्त भूमि से घिरी नहीं थी। ऐसी भूमि को जारी करने की कोई सिफारिश नहीं की गई है जहां निर्माण डीपीसी स्तर तक था, केवल ऐसे निर्मित क्षेत्रों को जारी किया गया है जहां अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिसूचना जारी होने से पहले निर्माण किया गया था और वह भी योजना के तहत समायोज्य होने पर।

(10) जिला टाउन प्लानर-प्रतिवादी नंबर 4 द्वारा एक अलग लिखित बयान दायर किया गया है। पंजाब न्यू कैपिटल पेरीफेरी कंट्रोल एक्ट के प्रावधानों का जिक्र करते हुए। 1952 (संक्षिप्तता के लिए, '1952 अधिनियम'), यह बताया गया है कि अधिग्रहण के तहत क्षेत्र 1952 अधिनियम के दायरे में आता है क्योंकि हरियाणा राज्य बाहरी सीमा से सभी तरफ से मीलों की दूरी पर है। चंडीगढ़ वालिए। 1952 अधिनियम की धारा 3 के अनुसार। हरियाणा राज्य को नियंत्रित क्षेत्र को अधिसूचित करने का अधिकार है। तदनुसार, 4 अप्रैल, 1972 को नियंत्रित क्षेत्र को अधिसूचित करते हुए एक अधिसूचना जारी की गई। इसके बाद, 1952 अधिनियम की धारा 4 के तहत एक परिधि नियंत्रित क्षेत्र योजना भी तैयार की गई, जिसके तहत शहरीकरण योग्य क्षेत्र जैसे विभिन्न भूमि उपयोग किए गए। कृषि क्षेत्र, आरक्षित वन क्षेत्र, संरक्षित वन क्षेत्र, प्रतिबंधित क्षेत्र, स्टोन क्रशर क्षेत्र, विशेष परियोजना क्षेत्र और जल निकाय (नदी और चो) को परिभाषित किया गया। 3 अगस्त, 2000 को, परिधि नियंत्रित क्षेत्र की एक नवीनतम योजना को मंजूरी दी गई, - द्वाइंग संख्या: डीटीपी (पी) 597/2000 **के माध्यम से**। शहरीकरण के लिए क्षेत्र को आरक्षित करने का मूल उद्देश्य चंडीगढ़ पर दबाव को कम करना और चंडीगढ़ की परिधि में और उसके आसपास बेतरतीब और अनियमित विकास गतिविधियों को नियंत्रित करना था ताकि विशेष क्षेत्र को रहने योग्य वातावरण प्रदान किया जा सके। पिंजौर-कालका शहरी परिसर की परिकल्पना भी शहरीकरण के उद्देश्य से की गई थी और एक विकास योजना, जिसे "पिंजौर-कालका शहरी परिसर-2005' के रूप में जाना जाता है, तैयार की गई है और जिला स्तर, ब्लॉक स्तर, स्थानीय स्तर के साथ-साथ विभिन्न तिमाहियों में वितरित की गई है। संबंधित ग्राम पंचायतें - **मेमो** नंबर 3297-3332, दिनांक 16 अक्टूबर 2006 के माध्यम से। उक्त योजना स्पष्ट रूप से अनुमेय गतिविधियों के साथ-साथ विशेष क्षेत्र के भूमि उपयोग को इंगित करती है। इस प्रकार, गैर-कानूनी आधार पर अधिग्रहण को चुनौती नहीं दी जा सकती थी। -क्षेत्र की योजना।

(11) प्रतिवादी संख्या 4 ने अपने लिखित बयान में आगे कहा है कि 1952 अधिनियम की धारा 5, 1952 अधिनियम की धारा 6 के तहत निदेशक, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की अनुमति प्राप्त किए बिना विकास गतिविधियों को भी प्रतिबंधित करती है। प्रारंभिक आपत्तियों के पैरा 3 में यह विशेष रूप से बताया गया है कि याचिकाकर्ताओं की आवासीय कॉलोनी, न्यू मॉडल टाउन, नालागढ़ रोड, पिंजौर, डेवलपर द्वारा टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग से पैसा प्राप्त किए बिना स्थापित की गई है। हरियाणा शहरी क्षेत्र विकास और विनियमन अधिनियम, 1975 (संक्षिप्तता के लिए, '1975 अधिनियम') के तहत। उस संबंध में 1975 अधिनियम की धारा 3.3-ए और 3-बी के प्रासंगिक प्रावधानों को पुनः प्रस्तुत किया गया है। गुण-दोष के आधार पर, पैरा 9 के उत्तर में यह खुलासा किया गया है कि पिंजौर-कालका शहरी परिसर-2005 की अनुमोदित विकास योजना के अनुसार, विचाराधीन साइट आवासीय उपयोग के लिए आरक्षित की गई है और इसका उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। इस प्रकार, याचिकाकर्ताओं के इस आरोप को खारिज कर दिया गया है कि उत्तरदाताओं के पास कोई अनुमोदित या प्रकाशित योजना नहीं है।

(12) 15 मई, 2009 को प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा फिर से एक लिखित बयान दायर किया गया था, जिसके अलाोकन से पता चलता है कि अधिकांश सामग्री 10 फरवरी को प्रतिवादी नंबर 3 द्वारा दायर पहले लिखित बयान में कही गई बातों की पुनरावृत्ति मात्र है। 2009, हालाँकि, यह खुलासा किया गया है कि अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिसूचना जारी होने के समय याचिकाकर्ताओं की भूमि खाली थी और उसी की सिफारिश की गई थी

अधिग्रहण के लिए. यह दोहराया गया है कि जिन निर्मित क्षेत्रों को योजना में समायोजित किया जा सकता था, उन्हें अधिग्रहण से मुक्त कर दिया गया है।

(13) 2009 के सीडब्ल्यूपी नंबर 65 के याचिकाकर्ताओं ने भी इसी तरह की दलीलें देते हुए उपरोक्त लिखित बयानों के लिए अलग-अलग प्रत्युत्तर दायर किए। रिट याचिका के कथनों को दोहराते हुए यह बताया गया है कि 7 मई, 2009 को अधिनियम की धारा 9 के तहत एक नोटिस जारी किया गया था, लेकिन 8 मई को इसे वापस ले लिया गया। 2009, जो अधिग्रहण की कार्यवाही को पूरी तरह से वापस लेने के समान है। उन्होंने निम्नलिखित उदाहरणों का भी खुलासा किया है जहां उत्तरदाताओं द्वारा भूमि जारी की गई है:

- (1) याचिकाकर्ता की भूमि के पीछे स्थित श्री दीपक नंदा की भूमि।
- (2) याचिकाकर्ताओं की भूमि के सामने एक शराब की दुकान।
- (3) खसरा नंबर 16 में शामिल प्रभावशाली व्यक्तियों की जमीन  
खसरा नंबर 4 से सटा हुआ है जिसमें याचिकाकर्ताओं की भूमि/भूखंड स्थित है।
- (4) 3 बीघे के कुल क्षेत्रफल में से 17 बिस्वा खसरा में शामिल है  
फिरोजपुर गांव का नंबर 2, जो कि खसरा नंबर 4 से सटा हुआ है, 17 बिस्वा जमीन को मुक्त होना बताया गया है, जबकि प्रतिवादी द्वारा दिए गए नक्शे में पूरा खसरा नंबर 2 को अधिग्रहण से मुक्त दिखाया गया है।

(14) 8 मार्च, 2010 को, जब मामला विचार के लिए आया, तो विद्वान राज्य वकील द्वारा यह खुलासा किया गया कि पुरस्कार 27 नवंबर, 2009 को सुनाया गया था (जो वास्तव में 26 नवंबर, 2009 था) लेकिन यह रिकॉर्ड स्पष्ट नहीं था क्या याचिकाकर्ता की भूमि पर कब्जा लिया गया था या नहीं, हालांकि अधिनियम की धारा 9 के तहत 29 अक्टूबर, 2009 को नोटिस जारी किया गया था। तदनुसार, विद्वान राज्य के वकील ने कब्जे की स्थिति के संबंध में निर्देश मांगने के लिए समय मांगा और उन्हें समय दिया गया। याचिकाकर्ताओं की भूमि और याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर याचिका के पैरा 12(1) और (2) में दिए गए कथनों पर एक विशिष्ट उत्तर भी दाखिल करें कि उनके भूखंड के बगल में खाली भूखंड को अधिग्रहण से मुक्त कर दिया गया है। यह भी आदेश दिया गया कि अगले आदेश तक यथास्थिति **बरकरार** रखी जाए और यदि कब्जा पहले ही नहीं लिया गया है तो इसे याचिकाकर्ताओं के पास ही रखा जाए।

(15) 8 मार्च के आदेश के अनुपालन में। 2010. श्री डी.आर. कैरों द्वारा 5 अप्रैल, 2010 को एक हलफनामा दायर किया गया है। भूमि अधिग्रहण कलेक्टर, शहरी संपदा, हरियाणा। पंचकुला. उक्त हलफनामे के पैरा 3 में यह खुलासा किया गया है कि पुरस्कार की घोषणा 26 नवंबर, 2009 को की गई थी और विचाराधीन भूमि का कब्जा ले लिया गया था और लाभार्थी विभाग यानी हुडा को सौंप दिया गया था क्योंकि स्थान, **यथास्थिति** और कोई आदेश नहीं था। पुरस्कार की घोषणा के समय बेदखली पर रोक। रपट रोजनामाचा संख्या 376, दिनांक 26 नवंबर के अनुसार एक प्रविष्टि की गई है। 2009. कब्जा सौंपने के संबंध में। शपथ पत्र के पैरा 4 में यह भी खुलासा किया गया है कि याचिकाकर्ताओं का प्लॉट पूरी तरह से अधिग्रहित भूमि से घिरा हुआ है। कथानक का स्थान और स्थिति निम्नलिखित दी गई है:

“प्लॉट के सामने खसरा नंबर 8 है जो अधिग्रहित है और याचिकाकर्ताओं के प्लॉट के पीछे कृष्ण लाल डांग और दीपक नंदा की खाली जमीन है जिनकी जमीन खाली पड़ी है और अधिग्रहित कर ली गई है। भूखण्ड के दायें एवं बायें भाग भी अर्जित भूमि है। शराब की दुकान करीब 200 वर्गफीट की है। याचिकाकर्ताओं के प्लॉट से गज दूर।”

(16) अंत में यह प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा कोई नाम या खसरा नंबर का खुलासा नहीं किया गया है, जिनकी भूमि डीपीसी स्तर तक स्थित थी, जिसे उत्तरदाताओं द्वारा जारी किया गया है और याचिकाकर्ताओं द्वारा पूरी तरह से गलत बयान दिया गया है।

(17) याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील श्री अमन अरोड़ा ने हमारे समक्ष विभिन्न दलीलें रखी हैं। उनका पहला निवेदन यह है कि यहाँ शत्रुतापूर्ण भेदभाव है। कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों की जमीन मुक्त करा ली गई है। इस संबंध में उन्होंने प्रतिकृति के पैरा 8 में दिए गए कथनों पर भरोसा किया है, जिसमें कहा गया है कि प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा अपने उत्तर के साथ संलग्न किया गया नक्शा पूरी तरह से अस्पष्ट है। इसे मापने के लिए तैयार नहीं किया गया है और न ही उस भूमि का कोई उचित विवरण है जिसे या तो अधिग्रहित किया गया है या जारी किया गया है। विद्वान वकील के अनुसार याचिकाकर्ता की भूमि के पीछे स्थित श्री दीपक नंदा की भूमि को याचिकाकर्ताओं की भूमि के सामने की ओर एक शराब की दुकान के साथ मुक्त कर दिया गया है। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया है कि खसरा नंबर 16, जो खसरा नंबर 4 से सटा हुआ है, जिसमें भूमि/भूखंड है

याचिकाकर्ता स्थित है, उसे भी रिहा कर दिया गया है क्योंकि यह किसी प्रभावशाली व्यक्ति का है, स्पष्ट कारण से उसे अनुचित लाभ देना है। उन्होंने यह कहते हुए और विस्तार से बताया कि खसरा नंबर 2 का कुल क्षेत्रफल, जो खसरा नंबर 4 से सटा हुआ है, 3 बिगास और 17 बिस्वा है, जिसमें से उत्तरदाताओं ने केवल 3 बिगास का अधिग्रहण किया है और 17 बिस्वा भूमि जारी की गई है, जो इससे पता चलता है कि उन्हें भूमि की उचित और सटीक माप के बारे में पूरी जानकारी है, लेकिन जहां तक याचिकाकर्ताओं का सवाल है, अर्जित भूमि की उचित माप के बारे में कोई सटीक जानकारी नहीं दी गई है।

(18) विद्वान वकील द्वारा दी गई एक अन्य दलील यह है कि अधिनियम की धारा 5-ए के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया है, यहां तक कि याचिकाकर्ताओं को सुनवाई की कोई सूचना, तारीख और स्थान तय करने की कोई सूचना नहीं दी गई थी। उपरोक्त तथ्य के बावजूद, याचिकाकर्ता स्वयं 26 अप्रैल को कलेक्टर के कार्यालय पहुंचे। 2007. जहां पैरा 12(iii) में किए गए प्रावधानों के अनुसार। एक क्लर्क बैठा हुआ था, एक तो क्लर्क द्वारा कोई सुनवाई नहीं की जा सकती थी और दूसरे, लोगों की संख्या इतनी अधिक होने के कारण उनकी बात भी नहीं सुनी जा सकती थी। इसलिए, विद्वान वकील द्वारा दी गई दलील यह है कि अधिनियम की धारा 5-ए के तहत कार्यवाही पूरी तरह से दिखावटी है और उपरोक्त कारणों से लागू अधिसूचनाएं रद्द की जा सकती हैं। अपनी दलीलों के समर्थन में, विद्वान वकील ने भूमि अधिग्रहण कलेक्टर के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा दायर जवाब को पढ़ा है, जो याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए प्रावधानों का खंडन नहीं करता है। उपरोक्त प्रस्ताव के लिए. श्री अरोड़ा ने **हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम डेरियस शापुर चकनाई, (1), श्याम नंदन प्रसाद बनाम बिहार राज्य (2), और हरि राम** के मामलों में दिए गए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों पर भी भरोसा जताया है। **बनाम हरियाणा राज्य (3)**।

(19) श्री अरोड़ा ने तब प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ताओं की साजिश। जहां निर्माण को छत के स्तर तक बढ़ा दिया गया है, वह एक सुनियोजित कॉलोनी में स्थित है और साइट योजनाओं की पूर्व मंजूरी नगर परिषद से ली गई है। एक बार जब भूखंड पर छत के स्तर तक निर्माण हो गया तो उत्तरदाताओं को भूमि को मुक्त करने की शक्ति का प्रयोग करना चाहिए था।

(7) (2005) 7 एससीसी 627

(2) (1993) 4 एससीसी 255

(3) (2010) 3 एससीसी 621 □

खासकर तब जब नगर परिषद से मंजूरी ली गई हो। उन्होंने आगे कहा है कि न केवल निर्मित क्षेत्र, बल्कि खाली भूखंडों को भी छोड़ दिया गया है, जो पूरी तरह से अनुचित है, खासकर जब उस अवधि के दौरान कोई नीति प्रचलित नहीं थी जब भूमि का अधिग्रहण किया गया था।

<sup>(20)</sup> श्री अरोड़ा ने यह भी प्रस्तुत किया है कि उत्तरदाताओं द्वारा विवेक का प्रयोग न करना 29 अक्टूबर, 2009 को अधिनियम की धारा 9 के तहत नोटिस जारी करने और उसी तारीख को उसे वापस लेने के आधार पर दर्शाया गया है। विद्वान वकील के अनुसार, उसी इलाके में याचिकाकर्ताओं की संपत्ति वास्तव में अधिग्रहण से मुक्त कर दी गई थी, लेकिन फिर भी अधिनियम की धारा 9 के तहत नोटिस जारी किया गया था, जो उत्तरदाताओं द्वारा दिमाग का पूरी तरह से गैर-प्रयोग को उजागर करता है। उनके अनुसार यह अधिग्रहण की कार्यवाही को वापस लेने के समान है।

<sup>(21)</sup> विद्वान राज्य वकील ने मुख्य रूप से लिखित बयान में दिए गए कथनों को दोहराते हुए प्रस्तुतियाँ दी हैं।

<sup>(22)</sup> पक्षों के विद्वान वकीलों को सुनने के बाद हमारा मानना है कि ये याचिकाएँ स्वीकार किए जाने

योग्य हैं। सबसे पहले, धारा 6 के तहत अधिसूचना जारी होने से पहले याचिकाकर्ताओं को अधिग्रहण के लिए निर्धारित कोई विशिष्ट क्षेत्र नहीं बताया गया है। याचिकाकर्ता अधिग्रहण के लिए नियोजित क्षेत्र की एक प्रति प्राप्त करने के लिए दर-दर भटक रहे हैं। उन्होंने जिला नगर योजनाकार को एक प्रति के लिए आवेदन किया। पंचकुला, यह जानने के लिए कि खसरा नंबर 4 और 5 का कौन सा हिस्सा अधिग्रहण से मुक्त किया गया है और उसका कौन सा हिस्सा अधिग्रहित किया गया है। जिला नगर योजनाकार ने उनके आवेदन को केवल भूमि अधिग्रहण कलेक्टर-प्रतिवादी संख्या 3 को इस अनुरोध के साथ अग्रिम किया कि अर्जित संबंधित भूमि/क्षेत्र को अलग रंग में चिह्नित किया जाए। हालांकि, क्षेत्र की साइट योजना 1 जुलाई, 2008 को प्रदान की जा सकी, जबकि घोषणा 28 नवंबर, 2007 (पी-2) को अधिनियम की धारा 6 के तहत पहले ही की जा चुकी थी। ऐसी स्थिति में अधिनियम की धारा 5-ए के तहत आपत्तियों के रूप में कोई प्रभावी प्रतिनिधित्व नहीं हो सकता है और न ही उत्तरदाताओं द्वारा कोई सुनवाई या दिमाग का आवेदन हो सकता है।

<sup>(23)</sup> स्थिति और भी गंभीर है क्योंकि 31 जुलाई, 2008 को याचिकाकर्ताओं ने सेक्टर 28, अर्बन एस्टेट, पिंजौर के लिए आवासीय, वाणिज्यिक और औद्योगिक क्षेत्र की योजना को उनके आकार के साथ दर्शाने वाली योजना की प्रमाणित प्रति की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया था। 22 अगस्त को, 2008, उत्तरदाता

उत्तर दिया कि ऐसा कोई लेआउट प्लान तैयार नहीं किया गया था (पी-10 एवं पी-11)। तदनुसार, यह इस प्रकार है कि उत्तरदाताओं को उस भूमि की सटीक माप के बारे में भी जानकारी नहीं थी जिसे अधिनियम की धारा 6 के तहत अधिसूचना जारी होने के बाद अधिग्रहित किया गया है या जिसे जारी किया गया है। इसलिए, प्रतिष्ठित डोमेन की शक्ति का रंगीन प्रयोग किया जा रहा है जो न्यायिक जांच में टिक नहीं सकता है। 19 अगस्त, 2008 को उत्तरदाताओं द्वारा भेजे गए उत्तर (पी-13) से यह बात स्पष्ट रूप से उजागर होती है।

<sup>(24)</sup> इसके अलावा, बारीकी से जांच करने पर हम पाते हैं कि याचिकाकर्ताओं ने अपनी भूमि के पीछे स्थित श्री दीपक नंदा की भूमि को मुक्त करने के संबंध में स्पष्ट दावा किया है; एक शराब की दुकान उनकी जमीन के सामने की ओर स्थित है; खसरा नंबर 16 में शामिल भूमि, जो खसरा नंबर 4 से सटी हुई है, जिसमें उनकी भूमि/भूखंड स्थित है; और 17 बिस्वा भूमि फ़िरोजपुर गांव के खसरा नंबर 2 में शामिल है, जो खसरा नंबर 4 से सटी हुई है। प्रतिवादी द्वारा उपरोक्त स्थिति से इनकार नहीं किया गया है, याचिकाकर्ताओं की संपत्ति के पीछे निर्माण से भी इनकार नहीं किया गया है। और आसपास के अन्य क्षेत्रों को भी अधिग्रहण से मुक्त कर दिया गया है। यदि आस-पास की सभी भूमि/निर्मित क्षेत्र को मुक्त कर दिया गया है, तो यह समझ में नहीं आता है कि याचिकाकर्ताओं की भूमि का अधिग्रहण सार्वजनिक उद्देश्य के लिए कैसे किया जा सकता है। भेदभाव के आधार पर भी याचिकाकर्ताओं के भूखंड/भूमि का अधिग्रहण रद्द किया जा सकता है। उस संबंध में हम **हरि राम (सुप्रा)** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पैरा संख्या 40 से 43 में की गई टिप्पणियों पर भरोसा कर सकते हैं, जो इस प्रकार है:

<sup>(25)</sup> यह सच है कि कानून के विपरीत कोई भी कार्रवाई या आदेश किसी भी व्यक्ति को समान व्यवहार का कोई अधिकार नहीं देता है। यह भी उतना ही सच है कि एक भूमि मालिक जिसकी भूमि निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अधिग्रहित की गई है, वह अपनी भूमि को अधिग्रहण से मुक्त करने के अधिकार के रूप में दावा नहीं कर सकता है, लेकिन जहां राज्य सरकार अधिनियम की धारा 48 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करती है। किसी विशेष भूमि के संबंध में अधिग्रहण से वापसी के लिए, समान स्थिति भूमि मालिकों को राज्य सरकार द्वारा समान उपचार का अधिकार है। नागरिकों के अधिकारों की समानता उन मूलभूत स्तंभों में से एक है जिस पर कानून के शासन की इमारत टिकी हुई है। राज्य के सभी कार्य निष्पक्ष और वैध कारणों से होने चाहिए।

41. सरकार का दायित्व है कि वह अधिग्रहण से वापसी के लिए उन भूस्वामियों के अभ्यावेदन को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त निष्पक्षता और निरंतरता के साथ काम करे, जिनकी भूमि उसी अधिग्रहण कार्यवाही के तहत अधिग्रहित की गई है। राज्य सरकार कुछ भूस्वामियों को चुनकर उनकी भूमि को अधिग्रहण से मुक्त नहीं कर सकती है और कृत्रिम भेद पैदा करके अन्य भूस्वामियों को समान लाभ से वंचित नहीं कर सकती है। एक ही अधिग्रहण कार्यवाही से संबंधित और एक ही सार्वजनिक उद्देश्य के लिए समान रूप से स्थित व्यक्तियों के संबंध में अधिनियम की धारा 48 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए अलग-अलग आदेश पारित करना निश्चित रूप से संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है और इसे भेदभावपूर्ण माना जाना चाहिए।

42. तो और अधिक। यह उत्तरदाताओं का मामला भी नहीं है कि भूमि को विभिन्न भूस्वामियों के पक्ष में अधिग्रहण से मुक्त कर दिया जाए। जैसा कि ऊपर देखा गया, यह किसी वैधानिक प्रावधान का उल्लंघन था या किसी गलत इरादे से किया गया था या किसी गलती के कारण किया गया था या किसी सार्वजनिक हित के विपरीत था। वास्तव में, 19 अगस्त, 2009 के आदेश के तहत, इस न्यायालय ने राज्य सरकार को अपीलकर्ताओं की भूमि की रिहाई के लिए उनके अभ्यावेदन पर विचार करने और उचित आदेश पारित करने का अवसर दिया, लेकिन राज्य सरकार ने उनके अभ्यावेदन पर विचार किया। 26 अक्टूबर 2007 की नीति में इस तथ्य की अनदेखी और अनदेखी की गई है कि जिन भूस्वामियों की भूमि अधिग्रहण से मुक्त हुई है, उनमें से किसी के लिए भी 26 अक्टूबर 2007 की नीति लागू नहीं की गई। राज्य सरकार ने अपनी कार्रवाई को सही ठहराने के लिए आधार स्थापित करने की मांग की है कि विकास योजना को ध्यान में रखा गया है और अपीलकर्ताओं को निर्माण के दोगुने क्षेत्र के विकसित भूखंडों की पेशकश की गई है, जबकि मामले का तथ्य यह है कि कुछ मामलों में जहां प्लॉट खाली थे और उन पर कोई निर्माण नहीं था, पूरे प्लॉट को अधिग्रहण से मुक्त कर दिया गया है और ऐसे मामले जहां एक कमरे या दो कमरे का निर्माण मौजूद था, पूरे प्लॉट को अधिग्रहण से मुक्त कर दिया गया है। 150 वर्ग गज से 1500 वर्ग गज तक के आकार के भूखंडों वाले 40 से अधिक भूस्वामियों की भूमि अवमुक्त करते समय यदि विकास योजना की राज्य सरकार की राय में भौतिक रूप से परेशान न हों, वही राय अपीलकर्ताओं की भूमि के लिए भी लागू होनी चाहिए।

43. राज्य सरकार द्वारा उन्हीं मानकों को लागू करके अपीलकर्ताओं के अभ्यावेदन पर विचार न करना अनुचित है जो उसी अधिग्रहण कार्यवाही के तहत अपनी भूमि के अधिग्रहण से हटते समय अन्य भूस्वामियों पर लागू किए गए थे। यदि यह न्यायालय राज्य सरकार की गलत कार्रवाई को सही नहीं करता है तो यह नागरिकों को इस विश्वास के साथ छोड़ सकता है कि नागरिकों के लिए जो मायने रखता है वह राज्य सरकार में सही व्यक्तियों के साथ सही अनुबंध है और न्यायिक कार्यवाही प्रभावोत्पादक नहीं है। वर्तमान अपीलकर्ताओं के साथ अलग व्यवहार करने में राज्य

सरकार की कार्रवाई, हालांकि वे उन भूस्वामियों के समान स्थित हैं जिनकी भूमि मुक्त कर दी गई है, को अस्वीकार्य नहीं किया जा सकता है और - इसे कानून में बुरा घोषित किया जाना चाहिए।'

(25) हमारा यह भी मानना है कि अधिनियम की धारा 5-ए के तहत आपत्तियों की सुनवाई के लिए अपनाई गई प्रक्रिया घोर अवैधता से ग्रस्त है। सबसे पहले, याचिकाकर्ताओं को आपत्तियों की सुनवाई की तारीख और स्थान की कोई व्यक्तिगत सूचना नहीं दी गई थी। दूसरे, याचिकाकर्ताओं की ओर से दाखिल आपत्तियों पर सुनवाई नहीं हुई है। 26 अप्रैल को, 2007 यानी आपत्तियों की सुनवाई की तारीख पर याचिकाकर्ताओं समेत 300 आपत्तिकर्ता मौजूद थे। यदि यह मान भी लिया जाए कि याचिकाकर्ताओं के इस आरोप को नजरअंदाज करते हुए कि केवल एक क्लर्क उपस्थित था, भूमि अधिग्रहण कलेक्टर उपस्थित थे, तो भूमि अधिग्रहण कलेक्टर के लिए एक दिन में 300 लोगों को सुनवाई की अनुमति देना संभव नहीं है। अधिनियम की धारा 5-ए के तहत आपत्तियों की सुनवाई को महज औपचारिकता तक सीमित नहीं किया जा सकता। अधिनियम के तहत यह संभवतः उन चरणों में से एक है जहां भूमि मालिक अपनी भूमि को अधिग्रहण से मुक्त करने के लिए कलेक्टर को मना सकता है। उपरोक्त दृष्टिकोण **डेरियस शापुर चकनाई** (सुप्रा) के मामले में दिए गए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से समर्थित है। पैरा 6 और 9 में निम्नलिखित टिप्पणियाँ की गई हैं:-

(26) इसमें कोई विवाद नहीं है कि अधिनियम की धारा 5-ए उस व्यक्ति के पक्ष में एक मूल्यवान अधिकार प्रदान करती है जिसकी भूमि का अधिग्रहण किया जाना है। के अनुच्छेद 300ए में निहित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए □

भारत के संविधान के अनुसार, राज्य अपनी 'प्रख्यात डोमेन' शक्ति का प्रयोग करते हुए किसी व्यक्ति की संपत्ति के अधिकार को अर्जित करके उसमें हस्तक्षेप कर सकता है, लेकिन यह सार्वजनिक उद्देश्य के लिए होना चाहिए और इसलिए उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए।

(9) यह सच है कि किसी व्यक्ति को दी गई सुनवाई प्रभावशाली होनी चाहिए और महज औपचारिकता नहीं। सार्वजनिक उद्देश्य और उसकी उपयुक्तता के संबंध में राय का गठन प्रासंगिक कारणों पर विचार करने और अप्रासंगिक कारणों को अस्वीकार करने से पहले किया जाना चाहिए, राज्य को अपनी निर्णय लेने की प्रक्रिया में कानून में कोई गलत दिशा नहीं अपनानी चाहिए। यह भी विवाद में नहीं है कि अधिनियम की धारा 5-ए एक मूल्यवान महत्वपूर्ण अधिकार प्रदान करती है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 ए में निहित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए इसे मौलिक अधिकार के समान माना गया है।"

(25) उत्तरदाताओं का यह दावा कि 26 नवंबर, 2009 को पुरस्कार की घोषणा की तारीख पर याचिकाकर्ताओं की भूमि का कब्जा पहले ही ले लिया गया है, हमें प्रभावित करने में विफल रहा है क्योंकि याचिकाकर्ताओं ने 6 जनवरी को रिट याचिकाएँ दायर की हैं। 2009 और 29 जनवरी, 2009. यह अच्छी तरह से स्थापित है कि उत्तरदाताओं द्वारा की गई सभी कार्रवाइयाँ तत्काल याचिकाओं के निर्णय के अधीन होंगी, जिसमें कब्जा लेने का तथ्य भी शामिल है। इसलिए, हमें उत्तरदाताओं की ओर से उठाए गए तर्क में कोई दम नहीं दिखता।

(26) उपरोक्त चर्चा के क्रम में, ये याचिकाएँ सफल होती हैं। उपरोक्त याचिकाकर्ताओं के संबंध में अधिग्रहण रद्द किया जाता है। याचिकाकर्ता विवादग्रस्त भूमि पर कब्जा जारी रखने के हकदार होंगे। यदि उत्तरदाताओं ने कब्जे के संबंध में रिपीट रोजनामचा में कोई प्रविष्टि की है, तो उसे उपयुक्त रूप से बदल दिया जाएगा। आवश्यक कार्रवाई तीन माह की अवधि के भीतर की जाएगी। कोई लागत नहीं।

(27) इस आदेश की एक फोटोकॉपी संबंधित मामले की फाइल पर लगाई जाए।

**जे. ठाकुर**

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

जसप्रीत कौर

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

हिसार, हरियाणा

